| आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|
| 2 | 3 |

पत्रांक-1564 ... अधिनियम, ... वाद ... प्रतिवेदन ... गयी

अभिलेख उपस्थापित।

गौतम वर्मा पिता स्व0 बासुदेव राम, निवास स्थान ग्राम-कर्यकला, अमृतनगर, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्यखुर्द, थाना नं0-172, खाता संख्या-15, प्लॉट संख्या-910, रकबा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि पूजा कुमारी पति प्रेमचन्द महतो, निवास स्थान ग्राम-बारटांड, पोस्ट-गोरहर, थाना-गोरहर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-575/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3243/रा0 दिनांक 01.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1564 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत मुंडील कहार वल्द लटु कहार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 4.67 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 3.7917 एकड़ भूमि है। मौजा-कर्यखुर्द ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ संख्या-13/1 पर खाता संख्या-15 कुल रकबा 3.7917 एकड़ मुंडील कहार वगैरह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2023 तक निर्गत् है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। वंशावली के अनुसार आवेदक का हिस्सा है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकबा 3.7317 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची 14 फारम सं0-563

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में गौतम वर्मा पिता स्व0 बासुदेव राम, निवास स्थान ग्राम-कर्वेकला, अमृतनगर, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेखुर्द, थाना नं0-172, खाता संख्या-15, प्लॉट संख्या-910, रकबा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि पूजा कुमारी पति प्रेमचन्द महतो, निवास स्थान ग्राम-बाराटांड, पोस्ट-गोरहर, थाना-गोरहर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग

उपायुक्त ... अपर ... हजारी... हेतु ... सेवा में,

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.09.18 16:22:56 +05:30
Location: 192.168.0.103